संख्या- 14/2021/531/96-आयुष-1-2021-138/2018

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 16 फरवरी, 2021**

विषय-जिला योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-184/380/जिला योजना/2020-21; दिनांक 08.02.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला योजना के अंतर्गत कुल 25 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-2/2018/1147/96-आयुष-1-2018-138/2018, दिनांक 21.03.2018 के साथ संलग्न सूची के अनुसार मूल्यांकित लागत रू0-515.02 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-233.00 लाख अवमुक्त किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-33 के अन्तर्गत प्रश्नगत प्रायोजना की मूल्यांकित लागत धनराशि रू0-515.02 लाख के सापेक्ष संलग्न सूची में उल्लिखित 13 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में उनके सम्मुख उल्लिखित धनराशि के अनुसार कुल धनराशि रू0-144.49 लाख (रूपये एक करोड चौवालिस लाख उन्चास हजार मात्र) अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

1- आगणन में ली गयी मात्राओं/प्राविधानों/दरों के औचित्य की पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की है।
2- आगणन में उल्लिखित मदों/मात्राओं/दरों/लागत को इण्डिकेटिव मानते हुए मात्र बजट एलोकेशन हेतु ही प्रयोग किया जाये।
3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाय।
4- प्रयोजना अंतर्गत कार्यमदों/विशिष्टियों में कोई परिवर्तन मूल्यॉकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5- चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण/स्थापना का कार्य किया जायेगा।
6- परियोजनाओं में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण/स्थापना के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, कार्यदायी संस्था तथा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 का होगा।
7- परियोजना में प्रस्तावित कार्यों/स्थापना सम्बन्धी कार्य की डुप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से निर्माण ईकाई /सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी तथा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत था और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- प्रायोजना अन्तर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुडस) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई0 टेण्डर/ई0 प्रोक्योरमेंट/गर्वनमेन्ट, ई0मार्केट प्लस (जेम पोर्टल) से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी एवं अन्य जिला स्तर की प्रायोजनाओं में संबंधित निदेशक का होगा।

10- प्रायोजना में सम्मिलित जो कार्य प्रोपराईटरी श्रेणी का कार्य हैं एवं इनके शेड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी तथा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 द्वारा निर्माण के समय इसका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जाय।

11- प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय।

12- प्रायोजना का कोई पुनरीक्षित अनुमन्य नहीं होगा।

13- उपकरण/फर्नीचर क्रय, बॉट आउट एवं प्रोपराईटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।

14- प्रायोजना अन्तर्गत प्रयुक्त निर्माण कार्यों की लागत पर ही आकस्मिक व्यय, लेबर सेस एवं सेन्टेज चार्ज अनुमन्य होगा।

15- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

16- सम्बन्धित परियोजनाओं के ऑगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को ही उक्त धनराशि का भुगतान किया जाय।

17- वित्त (बजट) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/20-1-1190/दस-2 017-231/2017 दिनांक-03.8.2017 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य मार्गदर्शी शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18- यदि प्रस्तावित प्रायोजना अन्तर्गत उच्च विशिष्टियॉ सम्मिलित हैं तो उच्च विशिष्टियों का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

19- अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों में कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तथा कार्य समाप्त करने के पश्चात वीडियोग्राफी इस तरह से करायी जायेगी जिससे कि अनुरक्षण के कार्य स्पष्ट सत्यापित किये जा सकें।

20- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य सम्पादित करते समय वित्त/लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- शासनादेश संख्या-2/2018/1147/96-आयुष-1-2018-138/2018, दिनांक 21.03.2018 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : **4210**-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, **02**-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, **110**-अस्पताल तथा औषधालय, **04**-राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, **01**-अनावासीय भवनों का निर्माण (चालू कार्य) के मानक मद **24**-वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-14/2021/531(1)/96-आयुष-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) सम्बन्धित जिलाधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(4) सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(5) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(7) सम्बनिधत कार्यदायी संस्था (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(8) आयुष अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-14/2021/531/96-आयुष-1-2021-138/2018 दिनांक 16 फरवरी, 2021 का संलग्नक।

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	चिकित्सालय का नाम	स्वीकृत धनराशि	शासनादेश संख्या-2/2018/1147/96-आयुष -1-2018-138/2018, दिनांक 21.03.2018 द्वारा अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कुर्सीखेडा, कानपुर देहात।	21.82	10.00	11.82
	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, नोनापुर, कानपुर देहात।	21.82	10.00	11.82
	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मोहाना, कानपुर देहात।	11.66	05.00	06.66
	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, गोविन्दनगर, कानपुर देहात।	20.97	10.00	10.97
	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बडागॉव, कानपुर देहात।	21.82	10.00	11.82
2	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, अमनाइकपुर, सुल्तानपुर।	21.82	10.00	11.82
	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, विजेथुआ, सुल्तानपुर।	21.82	10.00	11.82
	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, इसौली, सुल्तानपुर।	21.82	08.00	13.82
	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मेघमऊ, सुल्तानपुर।	21.82	10.00	11.82
3	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, गोरियाबाद, अमेठी।	11.66	05.00	6.66
	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, रामगंज, अमेठी।	21.82	10.00	11.82
4	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महमूदनगर, बलरामपुर।	21.82	10.00	11.82
	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, ललिया, बलरामपुर।	21.82	10.00	11.82
	कुल योग-	262.49	118.00	144.49

राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।